रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

Central Secretariat Library
30 JUL 1974
Govt. of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 1974/आषाढ 3, 1896

No. 158] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 1974/ASADHA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 24th June 1974

G.S.R. 279(E)/Ess. Com./Sugar:—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Order, 1973 namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Sixth Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In schedule II to the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Order, 1973 under the heading 'Karnataka', after serial number 14 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

"15. M/s. Chamundeswari Sugar Limited, Kalamuddana Doddi, District Mandya (Karnataka)".

[No. 2-5/73-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 1974

सा० का० नि० 279(अ)/आ० व०/शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार शर्करा (1973–74 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (1973–74 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) छठवां संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (1963–74 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1973 की अनुसूची 11 में 'कर्नाटक' शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 14 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"15-मेसर्स चमुनदेसवरी शुगर लिमिटेड, कलमुद्दाना कोड्डी, जिला माण्डया (कर्नाटक)" ।

[सं० 2–5/73-एस०पी०आई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974